उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन), 2019

उद्देश्य– उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 में संशोधन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के अग्रेतर प्रेरक के रूप में प्रोन्नति/समुत्थान व क्षेत्र के विकास के साथ–साथ यह संशोधन उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करायेगा ।

1(1). **यह नीति उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019 है।**

1(2). यह अधिसूचना दिनांक 05.12.2018 की तिथि से प्रवृत्ति होगी।

2. उत्तर प्रदेश लाभ की स्थिति

उत्तर प्रदेश, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य तथा तीसरी सबसे बड़ी अर्थ–व्यवस्था है। देश की 16.5 प्रतिशत जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, भारत के शीर्ष के पांच विनिर्माण राज्यों में से एक है तथा भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। विगत पांच वर्षो (2012–17) में राज्य से निर्यात 13.26 प्रतिशत् सी0ए0जी0आर0 (Compound Annual Growth Rate) दर्ज किया गया है।

2.1 उच्च–स्तरीय अवस्थापना सुविधायें

रणनीतिक रूप से स्वर्णिम चतुष्कोण (Golden Quadrilateral) पर स्थित, प्रदेश देश के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडड़ों से जुड़ा हुआ है। राज्य में 8,949 किलोमीटर में फैला हुआ देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। गाजियाबाद में दादरी से मुम्बई के जवाहर लाल नेहरू बन्दरगाह तक विकसित हो रहे वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर – डब्ल्यू0डी0एफ0सी0 (Western Dedicated Freight Corridor - WDFC) से बन्दरगाह तक परिवहन–समय में कमी होगी, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधि को गति मिलेगी।

इसी प्रकार, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर – ई0डी0एफ0सी0 (Eastern Dedicated Freight Corridor - EDFC) परियोजना का 57 प्रतिशत अच्छादित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है जो पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता है। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स का जंक्शन दादरी, गाजियाबाद में होने के कारण लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग क्षेत्र में प्रदेश अत्यंत लाभ की स्थिति में है।

ई0डी0एफ0सी0 तथा डब्ल्यू0डी0एफ0सी0 के समानान्तर विकासित हो रहें दिल्ली – मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (डी0एम0आई0सी0) तथा अमृतसर – कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (ए0के0आई0सी0) से अच्छादित क्षेत्र का बड़ा भाग उत्तर

प्रदेश में है। ई0डी0एफ0सी0 तथा डब्ल्यू0डी0एफ0सी0 परियोजानाओं का प्रदेश के हित में अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु राज्य सरकार इन कॉरिडोर्स से सटे नगरों, यथा ग्रेटर नोयडा, इलाहाबाद, व कानपुर आदि में इंटीग्रटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टरर्स, लॉजिस्टिक्स तथा इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप्स के विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

उत्तर प्रदेश में विद्यमान लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं में, मुरादाबाद में रेल से जुड़े संयुक्त घरेलु एवं एक्जिम (आयात–निर्यात) टर्मिनल, कानपुर में रेल से जुड़े प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल एवं अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपो–आई0डी0सी0 (Inland Container Depot - ICD) तथा दादरी टर्मिनल स्थित आई0सी0डी0 व कानुपर आई0सी0डी0 सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नोएडा, बोड़ाकी तथा वाराणसी में भी तीन मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स/ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित हैं। कानुपर, नोएडा वाराणसी व गाजियाबाद जैसे प्रदेमुख निवेश केन्द्रों के अतिरिक्त दादरी–नोएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, मेरठ–मुजफ्फरनगर निवेश क्षेत्र, दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय)–वाराणसी–मिर्जापुर जैसे नवीन निवेश क्षेत्र भी विकसित हो रहें है।

प्रदेश के कनेक्टीविटी नेटवर्क में पूर्व से विकसित एवं विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे, यथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे आदि 4 लेन तथा 6 लेन के राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय एवं अर्न्राष्ट्रीय हवाई अडड्े, इलाहाबाद, वाराणसी तथा हल्दिया बन्दरगाह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (NW 1) के माध्यम से उत्त प्रदेश सरकार वायु, जल एवं रेल कनेक्टीविटी सुविधाओं के नेटवर्क का सृजन करेगी, जिससे राज्य की औद्योगिक एवं मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयों को परिवहन के विभिन्न माध्यमों से अपने उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अर्न्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुचाने हेतु उत्कृष्ट व सुचारू सुविधायें सुलभ हो सकेगी। लखनऊ, कानपुर, मेरठ तथा वाराणसी में स्थापित होने वाली मल्टी–सिटी मेट्रो रेल परियोजनायें तथा जेवर एवं कुशीनगर में विकसित होने वाले अर्न्राष्ट्रीय हवाई अडड्ों के कारण प्रदेश के कनेक्टीविटी तंत्र के लाभ की स्थिति के और अधिक सुदृढ़ होने की सम्भावना है।

2.2 रक्षा औद्योगिक गलियारा/डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (Defene Industrial Corridor)

माह फरवरी 2018 में आयोजित यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20,000 करोड़ रूपये के निवेश से डिफेन्स कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गयी थी। अनुमान है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से एक लाख से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन होगा। प्रस्तावित गलियारें में 6 नोड, यथा– अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एवं

लखनऊ होगें। प्रस्तावित गलियारें हेतु राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 3000 हे0 भूमि अधिसूचित की जायेगी।

इन जिलों में डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग की अवाश्यकताओं को पूर्ण करने तथा कच्चे माल, श्रम आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सुदृढ़ सहायक आधार विद्यमान है। डी0एम0आई0सी0 तथा ऐ0के0आई0सी0 के निकट होने के कारण कॉरिडोर विशेष लाभ की स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा प्रस्तावित पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से कॉरिडोर को कनेक्टिविटी का लाभ उपलब्ध होगा।

2.3 विद्यमान विनिर्माण आधार

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अनेक इकाईयां है, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के उत्पादों का विनिर्माण करती है। स्थानीय स्रोतों से सामग्री एवं आवश्यक पुर्जो की अधिप्राप्ति (Procurement) करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां राज्य के सुदृढ़ स्थानीय बाजार का प्रमुख आधार है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख में 9 भारतीय आयुध कारखाने तथा 3 हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच0ए0एल0) की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित है।

तलिका–2 : उत्तर प्रदेश में स्थित आयुध कारखाने	
मुरादनगर, गाजियाबाद स्थित आयुध कारखाना	सादा कार्बन, (Plain carbon) तथा टैंक, गोला–बारूद (Ammunition), स्टील फोर्जिंग हेतु मिश्रित धातु स्टील कॉस्टिंग
कानपुर स्थित आयुध कारखाना	मध्यम एवं उच्च क्षमता वाली बन्दूकें, खाली खोल (Shell empties)
कानपुर स्थित लघु शस्त्र कारखाना	लघु शस्त्र (small arms)
कानपुर स्थित फील्ड गन फैक्ट्री	उच्च क्षमता के आयुध एवं स्पेयर बैरल, 32'' रिवॉल्वर
कानपुर स्थित आयुध उपकरण फैक्ट्री	चमड़ा उत्पादों, कपड़ा उत्पादों, पर्वतारोहण एपकरण सहित इंजीनियरिंग उपकरण
कानपुर स्थित आयुध पैराशूट फैक्ट्री	विभिन्न प्रकार के पैराशूट
शाहजहांपुर स्थित आयुध कपड़ा फैक्ट्री	युद्ध हेतु कपड़े तथा कपड़ा एवं टेंट आईटम्स
हजरतपुर–टुण्डला स्थित आयुध उपकरण फैक्ट्री	टेण्ट एवं अन्य वस्त्र निर्मित आइटम्स

कोरवा स्थित आयुध फैक्ट्री	कार्बाइन के उत्पादन हेतु (परियोजना स्तर पर)
तलिका–3 : उत्तर प्रदेश में स्थित हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि0 की प्रमुख विनिर्माण इकाईयां	
कानुपर स्थित एच0ए0एल0 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न	घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों हेतु हल्के परिवहन विमान तथा ट्रेनर विमान के निर्माण, रख–रखाव, अनुरक्षण, उच्चीकरण में मूलभूत क्षमता। यह डिवीजन विमान के रख–रखाव, अनुरक्षण तथा ओवरहॉल भी करता है। यह मानव रहित वायु वाहन (unmanned Arial Vehicles – UAVs) के इंजनों तथा हाईड्रोलिक सिस्टम की सर्विसिंग करता है।
लखनऊ स्थित एच0ए0एल0 सहायक डिवीजन	हाईड्रॉलिक्स, इंजन ईधन, एयर कंडीशनिंग एवं प्रेशराइजेशन, फ्लाइट कंट्रोल, व्हील एवं ब्रेक, जाइरो एवं बायोमैट्रिक इंस्टुमेंट, इलेक्ट्रिकल पावर जेनेरेशन एंड कन्ट्रोल सिस्टम, अंडरकैरियेजेस, ऑक्सीजन एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ईधन कंटेट गेज इत्यादि का विनिर्माण।
कोरवा स्थित एच0ए0एल0 एविऑनिक्स डिवीजन	मिग–27एम अपग्रेड, मिराज–2000, एल0सी0ए0, जगुआर अपग्रेड, एजेटी–हॉक एयरक्राफ्ट पर लगाये गये विभिन्न एविऑनिक्स प्रणालियों के लिये विनिर्माण तथा अनुरक्षण की सुविधा।

उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी कई इकाइयां राज्य में तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में टेकनिकल टेक्सटाईल, इंजीनियरिंग उत्पादों व पुर्जो आदि के विनिर्माण में संलग्न है।

2.4 अनुसंधान एवं विकास (Research & Development – R&D) पारिस्थिकी तंत्र

उत्तर प्रदेश में विविध शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जो अनुसंधान एवं विकास में संलग्न है। राज्य में 53 विश्वविद्यालय, 4,345 कॉलेज, 168 पॉलिटेक्निक्स है, जिनमें अनेक शोध संस्थान, उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) एवं अन्य व्यवसायिक संस्थान है। राज्य आई0आई0टी0 कानपुर, बी0एच0यू0

आई0आई0टी0 जैसे विशिष्ट संस्थानों का गढ़ है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के मैटिरियल्स एण्ड स्टोर आर एण्ड डी इस्टैब्लिशमेंट (DMSRDE), तथा एच0ए0एल0 इत्यादि जैसे प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र हेतु उत्तम अनुसंधान एवं विकास पारिस्थिकी तंत्र उपलब्ध कराते है।

एच0ए0एल0 के अंतर्गत लखनऊ में स्थित एयरोस्पेस सिस्टम एण्ड इक्यूप्मेंट आर0 एण्ड डी0 सेंटर है, जो स्टेट–ऑफ–द–आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विमानए हेलाकॉप्टर तथा इंजन के लिये आवश्यक सभी प्रमुख प्रणालियों और उपकरणों हेतु व्यावहारिक अनुसंधान (Applied Research), डिजाइन एवं विकास में कार्यरत है। कोरवा स्थित एच0ए0एल0 के अन्तर्गत एयरोस्पेस सिस्टम एण्ड इक्यूपमेंट आर0एण्ड0डी0 सेंटर (ASERDC), में फ्लाईट डेटा रिकॉर्डर्स तथा अन्य एवियॉनिक एल0आर0यूज0 (Avionic LRUs) का विकास किया जाता है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ एवं आगरा में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ स्थित है, जिनके अन्तर्गत 7 प्रभागों (Divisions) के माध्यम से यू0पी0 पुलिस को आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों से सहायता प्रदान की जा रही है।

2.5 उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसरः–

उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है :–

1. डिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि व उनका अन्य जनपदों में विस्तार ।
2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs)का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।
3. डिफेन्स कॉरिडोर नोड जैसे कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ व अन्य जनपदों में इसके विस्तार की संभावना के साथ एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना ।
4. परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना, जिसमें तोपखाने के लिए फॉयरिंग रेंज व अन्य सैन्य शस्त्र/उपस्कर हेतु फॉयरिंग रेंज को समाहित करते हुये परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना व विकास ।
5. UAV/ड्रोन के प्रारूपों का विकास विनिर्माण व परीक्षण सुविधायें ।
6. हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का विनिर्माण अथवा उनके संयोजन (Assembling) व रख–रखाव की सुविधायें।

7. रक्षा/सैन्य/एयरोस्पेस सम्बन्धी यांत्रिक वाहनों उनके कलपुर्जो का संयुक्तीकरण और आनुषांगिक इकाईयों की स्थापना ।
8. पुलिस के आधुनिकीरकण व लघु तीव्रता के संघर्षो में उपयोग आने वाले उपकरण हथियार व संस्पर्शी (sensor) उपस्कर आदि का निर्माण।
9. **इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ITeS) केन्द्र**– आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा आदि में।
10. **इंजीनियरिंग केन्द्र**–अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metal precision work) आगरा में ढलाईखाना (Foundry) इत्यादि।
11. रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र के लिए चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों के विनिर्माण केन्द्र ।
12. शस्त्र, शस्त्र प्रणाली, गोला बारूद व विध्वंसक व आनुषांगिक अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र।
13. रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र की स्थापना।

1. नीति के संबंध में

मा0 प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा के संदर्भ में इस नीति का ध्येय राज्य में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना है। यह नीति राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के दृग्विषय तथा उददे्श्यों को क्षेत्र–केन्द्रित रूप से आगे बढ़ाते हुये राज्य की नागरिक

उड्डयन नीति – 2017 तथा उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2017 का अनुपूरण करती है। आकर्षक प्रोत्साहनों से सुसज्जित, यह नीति आगामी 05 वर्षो में राज्य में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिये रणनीतिक दिशा प्रदान करती है।

3.1 नीति के उद्देश्य

1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन।

3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना।

4. एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने–फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना।
5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।
6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs)/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना।
7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषंगिक/ सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।
8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।
9. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई.आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू0 वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र व रक्षा/ एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा।
10. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ–साथ प्रोत्साहित करना।
11. भारत में नवीन प्रोद्भूत आभार/ कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/ संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना।
12. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सड़क/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना।
13. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस.एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से common Facility centers(CFCs)की स्थापना की जायेगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का अन्वेषण प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करे, साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को उपलब्ध कराना।

3.2 लक्ष्य

1. आगामी 5 वर्षो की अवधि में रू0 50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में 2.5 लाख रोजगारों को सृजन करना।

3.3 परिभाषायें

1. रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः

यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/ तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/ परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा।

रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण /उपस्कर विनियोजन इकाई उप–संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे।

2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयांः

रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य–श्रंखला (Value chain)में उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इसनीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी।

किसी भी इकाई में निम्नलिखित में से न्यूनतम एक मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य होगा–

i. रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो।
ii. रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है, में वित्तीय अनुदान अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया गया हो।
iii. रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की प्रोद्भूत (offset) योजना के अन्तर्गत किसी भी विदेशी मूल उपस्कर निर्माता से मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो।

iv. सेना, नौसेना, वायुसेना/ पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर. डी.ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए संरचना अथवा विकास का कार्य किया हो,

v. भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री, उपकरण कलपुर्जे अवयव/संयोजन (Assembly) / उप–संयोजन (Sub-Assembly) / उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय / विदेशी रक्षा / एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो।

3. **मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां**: ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers-OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा रु0 1000.00 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो।

कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/ आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल–एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair & Overhaul –MRO) इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत् की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में न्यूनतम रु. 50 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो ।

रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र की मेगा एंकर इकाईयां अतिरिक्त अनुकूलित प्रोत्साहन, संकुल छूट की भी हकदार होंगी जो प्रदेश को प्राप्त हुए समेकित लाभ के आंकलन के उपरान्त प्रद्त्त की जायेगी जो प्रकरण विशेष (केस–टू–केस) के हिसाब से होगी इसके लिए कस्टमाइज्ड पैकेज रक्षा/ एयरोस्पेस क्षेत्र में विनिर्माण व प्रोत्साहन परिचालन समिति की अनुशंसा पर राज्य कैबिनेट के अन्तिम अनुमोदन उपरान्त प्रदान की जायेगी।

नोट -इस नीति में परिभाषित एंकर डी एंड ए इकाइयों पर लागू सभी प्रोत्साहन मेगा एंकर डी एंड ए इकाइयों पर भी लागू होंगे।

रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र में सेना, नौसेना, वायुसेना, पैरामिलेट्री अधिष्ठान और विशिष्ट मामलों में DDR&D/DRDO अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा से संबंधित एंकर इकाई और उनके वेंडर्स सम्मिलित माने जायेंगे।

4. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां :

ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers-OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में निवेश किया गया हो :–

निवेश क्षेत्र	पात्रता का मानदण्ड
बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाचल क्षेत्र	रू0 200 करोड़ सें अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन
मध्याचंल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद को छोड़कर)	रू0 300 करोड़ से अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 1500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन
गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद	रू0 400 करोड़ से अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 2000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन

कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल–एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair & Overhaul –MRO) इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत् की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में न्यूनतम रु. 30 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो ।

'अथवा'

एक आपूर्तिकर्ता एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के रूप अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त कारोबार का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल्य श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई अथवा

अन्य एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के लिये आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।

5. **वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां** : ऐसी इकाईयां, जो उसी क्लस्टर में स्थित हों जिसमें एंकर यूनिट कार्यरत हों एवं अपने अंतिम उत्पाद का न्यूनतम 40 प्रतिशत एंकर इकाई को आपूर्ति करती हों।

6. **सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) इकाईयां** : भारत सरकार द्वारा एम0एस0एम0ई0 अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 हेतु निर्धारित परिभाषा एम0एस0एम0ई0 परिभाषा का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में समय–समय पर एम0एस0एम0ई0 की संशोधित परिभाषा स्वतः संशोधित मानी जायेगी।

एक एम0एस0एम0ई0 रक्षा तथा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप में आर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त करोबार का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल्य श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड के लिये आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।

7. **सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयां (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स)/ ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड** : रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम।

4. निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क–

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में, विशेष रूप से सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में, रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। इन पार्को में 'प्लग–एंड–प्ले' औद्योगिक अवस्थापना सुविधा होगी, जिससे कम्पनियां अपने मुख्य व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।

रक्षा/एयरोस्पेस पार्क के विकास हेतु पूँजीगत उपादान : रक्षा/एयरोस्पेस व सामरिक विकास कर्ता यूपीडा से भूमि क्रय कर सकते हैं या अपने स्तर से भी भूमि ले सकते हैं। रक्षा/एयरोस्पेस व सामरिक विकास कर्ताओंको अवस्थापना जनित पश्चसिरा (Back ended) उपादान अधिकतम 10.00 करोड़ की सीमा तक अनुमन्य होगा जिसकी दर सकल स्थावर आस्तियों

के 10 प्रतिशत दर पर होगी बशर्ते रक्षा/एयरोस्पेस पार्क कम से कम 50 एकड़ में विकसित किया गया हो। बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाले रक्षा व एयरोस्पेस पार्कों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजीगत उपादान 15 करोड़ रू की सीमा तक देय होगा।

50 प्रतिशत उपादान तब अनुमन्य होगी जब पार्क की 25 प्रतिशत भूमि आवंटित हो जायेगी। 100 प्रतिशत उपादान तब अनुमन्य होगा जब पार्क की 50 प्रतिशत भूमि आवंटित हो जायेगी।

अर्हकारी स्थावर (Fixed)आस्तियों की सूची

1. भूमि (विकास मूल्य के साथ तारबाड़ (Fencing), आंतरिक मार्गों का निर्माण व अन्य मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं सहित)
2. स्थायी इमारत
3. कारखाना, देशज मशीनरी व उपस्कर
4. नवीन आयातित उपस्कर
5. कम्प्यूटर चालित उपस्कर, सामग्री संभालने वाले उपकरण/यन्त्र यथा–Forklifts crane इत्यादि टूल डाई, मोल्ड जिग्स और फिक्चर्स के अलावा समरूपेण उत्पादकता औजार जो इकाई के स्वामित्व और प्रयोग में प्लांट की इकाई के अन्दर अथवा अन्यत्र प्रयुक्त हो रहें हो।
6. उपयन्त्र, विद्युत प्रतिस्थापन, प्रदूषण गुणवत्ता वाले नियंत्रण व प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपस्कर फिक्सर ट्यूब, पाइप, फिटिंग, स्टोरेज टैंक जिनका भुगतान परियोजना मद से किया गया हो।
7. अपशिष्ट, परिशोधन परिसम्पत्तियॉ।
8. ट्रांसफार्मर, जनरेटर, कैप्टिव पावर प्लांट आदि और अन्य सहायक सुविधायें जिनकी स्थापना परिसर में की गयी है। स्थापना व्यय सहित।

5. डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

5.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय करने पर ही प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत की जाएगी।

5.2 एंकर रक्षा/एयरोस्पेस इकाईयां जिसे इस नीति में पूर्व में परिभाषित किया गया है, को डिफेंस कॉरीडोर में भूमि के सकल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि की छूट दी जायेगी।

5.3 एंकर इकाईयों को अपनी भूमि के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में वेण्डर इकाईयों को लगाने की अनुमन्यता रहेगी।

5.4 भूमि आवण्टन हेतु भुगतान की शर्तें:–

उक्त सुविधायें उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑथारिटी (यूपीडा) द्वारा उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के प्राविधानों के अनुसार दी जायेंगी।

5.5 पूँजीगत उपादान

रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में नई एंकर इकाइयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान 10 प्रतिशत की दर से रू 10.00 करोड़ की सीमा तक और नई वेण्डर/एम.एस.एम.ई. इकाइयों को 5 प्रतिशत की दर से 5 करोड़ रूपये की सीमा तक की दर से पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)। यह व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने पर देय होगा।

बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाली रक्षा/एयरोस्पेस इकाइयों को 15 प्रतिशत 15 करोड़, जो भी कम हो, तथा वेण्डर/एम.एस.एम.ई. इकाईयों को 7. 50 प्रतिशत या 7.50 करोड़ रूपये पश्चसिरा पूंजीगत उपादान, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा।

5.6 कॉमन फैसिल्टी सेन्टर को सहायता

कॉमन फैसिल्टी सेन्टर प्रदेश के रक्षा/एयरोस्पेस विनिर्माण के ईको सिस्टम के अतिरिक्त प्रयास में सहायता प्रदान करेगा अत्एव राज्य सरकार प्रत्येक नोड पर कॉमन फैसिल्टी सेन्टर की स्थापना हेतु प्रेरक प्रोत्साहन छूट प्रदान करेगी जो भूमि के रूप में होगी जिसे प्रत्येक नोड के परिक्षेत्र में पूर्व चिन्हांकित किया जायेगा। सी0एफ0सी0 की स्थापना हेतु साफ्ट लोन का भी प्राविधान है। कॉमन फैसिल्टी सेन्टर एक सामूहिक सहयोगी प्रयास होगा जिसमें एम0एस0एम0ई0, रक्षा/ एयरोस्पेस क्षेत्र प्रतिभागी होंगे। कॉमन फैसिल्टी सेन्टर की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।

6. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों हेतु प्रोत्साहन

6.1 परिवहन प्रभार पर छूट –

6.1.1 प्लान्ट व मशीनरी के परिवहन पर – आयातित उपकरणों एवं प्लान्ट व मशीनरी को लॉजिस्टिक्स पार्क/ट्रान्सपोर्ट हब/हार्बर/पोर्ट से प्रदेश में स्थित

उत्पादन स्थल पर ले जाने हेतु एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां परिवहन लागत के 50 प्रतिशत परिवहन उपादान की पात्र होगी, जिसकी समेकित अधिकतम सीमा रू0 2.00 करोड़ होगी।

यह उपादान रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों द्वारा उपकरणों के परिवहन पर उन परियोंजनाओं हेतु लागू होगा, जिनके अनुबंध का मूल्य रू0 50.00 करोड़ अथवा उससे अधिक हो, यह उपादान प्रथम वर्ष के उत्पादन के के प्रारम्भ की तिथि तक ही प्रदान किया जायेगा।

6.1.2 तैयार उत्पादों के परिवहन पर – तैयार उत्पादों को प्रदेश में स्थित इकाई के लॉजिस्टिक पार्क/ट्रांसपोर्ट हब, हार्बर/पोर्ट तक ले जाने हेतु एकंर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक परिवहन लागत के 30 प्रतिशत परिवहन उपादान की पात्र होगीं, जिसकी प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रू0 1.00 करोड़ होगी।

6.2 उत्प्रवाह उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु उपादान – एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों द्वारा स्थापित किये गये उत्प्रवाह उपचार संयंत्र की लागत की 20 प्रतिशत प्रतिपूर्ति रू0 1.00 करोड़ की अधिकतम सीमा तक की जायेगी।

6.3 प्रौद्योगिक हस्तान्तरण उपादान – एंकर इकाईयों को एक ही क्लस्टर में स्थित प्रत्येक वेण्डर इकाई हेतु अधिकतम रू0 50.00 लाख की सीमा तक प्रथम 5 विक्रेताओं को प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण की लागत की 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति तथा तत्पश्चात् अगले 05 वेण्डर्स को 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

7. **अनुसंधान एवं विकास तथा परीक्षण सुविधा हेतु सहायता** –

7.1 नगरीय क्षेत्र में अर्हकारी अनुसंधान व विकास इकाईयों को 2 (का) फ्लोर स्पेस इन्डेक्स उपलब्ध होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में फ्लोर स्पेस इन्डेक्स की वर्जना नही रहेगी।

7.2 *

7.3 नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन – उ0प्र0 सरकार रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये यू0पी0 स्टार्ट–अप नीति 2017 के अन्तर्गत बनाये गये स्टार्ट–अप फन्ड का उपयोग करेगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार आई0आई0टी0 – कानपुर, आई0आई0टी0 – बी0एच0यू0 इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के साथ सहभागिता भी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के आई0डी0ई0एक्स0 एवं अन्य ऐसी पहलों के साथ अपने अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार प्रयासों को संरेखित करेगी।

8. *

9. **क्षमता विकास**

9.1 विद्यमान कौशल प्रशिक्षण आधार व सुदृढ़ीकरण – जहां व्यवहारिक होगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर शासकीय आई0टी0आई तथा पॉलिटेकनिक्स से विचार विमर्श के उपरान्त रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करवाये जायेगे।

9.2 शैक्षिक समझौते – उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास संस्कृति को बढ़ाने हेतु रक्षा तथा एयरोस्पेस प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों (भारत और विदेशों में) को राज्य के विश्वविद्यालयों से शैक्षिक समझौते करने हेतु प्रोत्साहित करेगी।

9.3 कौशल विकास हेतु उपादान – प्रत्येक इकाईयों में अधिकतम 20 प्रशिक्षुओं की सीमा तक प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु रू0 10000.00 की अधिकतम सीमा तक एक वर्ष के लिए कार्य पर तकनीकी प्रशिक्षण का व्यय भार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

10. **पेटेंट लागत/गुणवत्ता प्रमाणन**

उत्तर प्रदेश सरकार पेटेंट पंजीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किये गये व्ययों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

10.1 **पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति**– प्रदेश में स्थापित रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों को घरेलु पेमेंट पंजीकरण के लिये पेटेंट शुल्क के 100 प्रतिशत तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण के लिये पेटेंट शुल्क के 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई रू0 25 लाख तक होगी, समस्त इकाईयों को देय प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा रू0 1.00 करोड़ होगीं यह प्रतिपूर्ति केवल पेटेंट प्राप्त होने के बाद ही की जायेगी।

10.2 गुणवत्ता प्रमाणन – उत्तर प्रदेश सरकार गुणवत्ता प्रमाणन यथा ए0एस0 9100 सीरीज, एन0ए0डी0सी0पी0 प्राप्त करने हेतु इस नीति में परिभाषित एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणन शुल्क का 100 प्रतिशत, प्रति इकाई अधिकतम रू0 01 लाख प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की जायेगी, समस्त इकाईयों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू0 20.00 लाख प्रतिवर्ष होगी।

10.3 ट्रेडमार्क पंजीकरण – समस्त पात्र रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण इकाईयों को ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन शुल्क की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जायेगी, प्रति

इकाई अधिकतम रू0 1.00 प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की जायेगी, समस्त इकाईयों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष होगी।

11. व्यवसाय में सहजता

राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2017 की परिकल्पना एवं लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुये यह नीति प्रदेश में व्यापार की सुगमता को भी सुनिश्चित करती है।

11.1 सिंगल विन्डो – राज्य सरकार द्वारा रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण इकाईयों को सभी वांछित अनुमोदन एवं स्वीकृतियां, मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में सिंगत विन्डो प्रणाली के माध्यम से प्रदान किये जायेगें।

11.2 प्रोत्साहनों का एकमुक्त भुगतान– इस नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनों हेतु उत्तर प्रदेश एक्प्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) नोडल एजेंसी होगी।

11.3 प्रक्रियाओं का सरलीकरण – इस नीति का उददे्श्य विद्यमान नियामक व्यवस्था तथा सरलीकृत प्रक्रियाओं को स्व–प्रमाणीकरण, मानित अनुमोदन (Deemed Approval) एवं तृतीय पक्ष के प्रमाणीकरण के माध्यम से युक्तिसंगत बनाना है।

11.4 श्रम अनुमतियां – उत्तर प्रदेश सरकार रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योग को संबंधित कानूनों आधीन लचीली रोजगार शर्ते, काम के घण्टें एवं महिलाओं हेतु

3–पाली (शिफ्ट) तथा संविदीय आधार पर श्रमिको की भर्ती हेतु अनुमति प्रदान करेगी।

11.5 निम्नलिखित गुणवत्ता युक्त Infrastructure सुविधायें यथा– 132 के.वी.ए. स्तर की विद्युत प्रणाली तंत्र जलापूर्ति, सड़क से कनेक्टीविटी तथा भूमि के डिमार्केशन हेतु पिलरों के साथ प्रदान की जायेगी।

11.6 औद्योगिक सुरक्षा – उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सुरक्षित एवं भयमुक्त औद्योगिक वातावरण प्रदान करेगी। इस हेतु विशिष्ट अधिकारी के अधीन औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्र में समर्पित पुलिस बल की तैनाती की जायेगी तथा एकीकृत पुलिस–सह–अग्निशमन केन्द्र भी स्थापित किये जायेगें।

11.7 इस नीति में प्राविधानित सुविधाओं/छूटों की स्वीकृति की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 में दी गयी है।

11.8 इस नीति में आच्छादित पात्र इकाईयों को भूमि क्रय पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की किसी अन्य नीति में प्राविधानित कोई सुविधा/छूट अनुमन्य नहीं होगी।

12. नीति का क्रियान्वयन

12.1 यह नीति, अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जायेगी तथा 05 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

12.2 यदि किसी दशा में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें नीति में किसी भी संशोधन या अतिक्रमण की आवश्यकता होती है तो केवल मा0 मंत्रि परिषद इस प्रकार के संशोधन/अतिक्रमण के अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी।

12.3 इस नीति में किसी भी सं ाोधन के प्रकरण में, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी भी इकाई को प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा, इकाई लाभ की पात्र बनी रहेगी।

नोट

1. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को अपनी सुविधाओं (परीक्षण सुविधाएं, प्रयोग ाालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं, यथा–कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।
2. इस नीति मे उल्लेखित उपादानों के अतिरिक्त मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों को केस–टू–केस आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किये जायेगें।
3. इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित समस्त पात्र रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों को प्रतिपूर्ति, उपादान छूट आदि के रूप में प्रदान किये जाने वाले समस्त प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा निम्न श्रेणियों में प्रदान की जायेगी, जिनकी प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा कुल स्थायी पूंजी निवेश की 15 प्रतिशत अधिकतम 10 वर्षों हेतु होगी –
    - पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत,

- मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद छोड़कर) क्षेत्र में किये गये स्थायी पूंजी निवेश की 90 प्रतिशत
- गौतमबुद्ध एवं गाजियाबाद जनपदों में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत

4. समस्त प्रोत्साहन नयी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों के साथ–साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली परियोजनाओं को भी अनुमन्य होगे, जो की नयी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों की भांति निवेश मानदण्डों को पूर्ण करती हो।
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस नीति के अन्तर्गत जिन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयो को पात्र पाया जाता है, केवल उन्ही इकाईयों को इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किये जायेगें।
6. नीति के अधीन केवल उन्हीं इकाइयों को रियायतें/सुविधायें दी जायेंगी जो इस नीति के प्रख्यापन के पश्चात् स्थापित की जायेंगी। केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों का लाभ उठाने की पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।
7. ''विस्तारीकरण/विविधीकरण का तात्पर्य है जहां वर्तमान औद्योगिक उपक्रम नये पूंजी निवेश द्वारा अपने ग्रॉस ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है।''

उत्तर प्रदेश की समस्त रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों जिनका पंजीकरण अथवा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि संशोधित रक्षा तथा एयरोस्पेस नीति–2019 की अधिसूचना जारी होने के बाद अर्थात 05 दिसम्बर 2019 के बाद की हो। उन इकाईयों को सैद्धान्तिक रूप से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा माना जायेगा।

टिप्पणी – मूल नीति ''उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018'' में प्रख्यापित नीति में निम्नलिखित प्रस्तर संख्या में सुधार किया गया है–

प्रस्तर सं0 2.5 में परिवर्तन किया गया है तथा क्रम सं0 12 व 13 जोड़ा गया है।
प्रस्तर सं0 3.1 में परिवर्तन किया गया है तथा क्रम सं0 11,12, व 13 जोड़ा गया है।
प्रस्तर सं0 3.3 में परिवर्तन किया गया है।
प्रस्तर सं0 4 में परिवर्तन किया गया है।
प्रस्तर सं0 5 में परिवर्तन किया गया है तथा प्रस्तर सं0 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 जोड़ा गया है।
प्रस्तर सं0 7.1 में परिवर्तन किया गया है।
*प्रस्तर सं0 7.2 विलोपित है।
*प्रस्तर सं0 8 विलोपित है।
प्रस्तर सं0 9 में 9.3 जोड़ गया है।
प्रस्तर सं0 11.2 में परिवर्तन किया गया है।
प्रस्तर सं0 11.5 में परिवर्तन किया गया है तथा प्रस्तर सं0 11.7 व 11.8 जोड़ा गया है।
प्रस्तर सं0 12.3 में परिवर्तन किया गया है तथा नोट 1 व 6 जोड़ा गया है।